

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/ 12102/शाशि.ग्रेड-III/सी.भ./वो-1/2017-18 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (तृतीय वेतन श्रृंखला) के पद पर प्रोवेशनल ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी) चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार विवरणांकित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (तृतीय वेतन श्रृंखला) के पद पर दिनांक 07.12.2019 को परामर्श (काउंसिलिंग) शिविर आयोजित कर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 23700/-रु.प्रतिमाह नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 23700/- (अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना-तर्गत होगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरन रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

3 आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। यदि विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। तथा अभ्यर्थियों से यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। उनके त्रुटिपूर्ण, कूटरचित एवं जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

6. जो अभ्यर्थी वी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्य क्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेगें।

7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेल-कूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेल-कूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।

लगातार.....

8. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया होना चाहिए। महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर पारित किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो की विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा देवे।

9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भते यथा महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरीक्षति पुर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.12.2017 के अनुसार देय होगा।

13. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.12.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।


14. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 01.10.2013 के अनुसार धूर्मपान एवं गुटका सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।

15. नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन में रिट संख्या 13257/2018, 15018/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन होगी।

उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 31.01.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

सलग्न:-आदेश संख्या 01


नोट:-उक्त आदेश की राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त है।


(रामखिलाडी बैरवा)








जिला शिक्षा अधिकारी मुख्या
माध्यमिक,सवाई माधोपुर


क्रमांक:-जिशिअ /मा/संस्था-1/फा-शा0शि0 नि0/2019-20/912-23 दिनांक 16.01.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
7. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विधि जयपुर/जोधपुर
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
9. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित आशार्थी /रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी मुख्या
माध्यमिक,सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	रोल न0	वर्ग	चयन वर्ग	नाम अम्यर्थी	पिता का नाम	आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता	जन्म तिथि	ब्लॉक	पदस्थापन स्थान	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1	1013	505819	GEN	GEN	अनिता शर्मा	देवी लाल शर्मा	DIDWANA LALSOT DIDWANA PINCODE 303511 DIST DAUSA	25.10.88	बामनवास	राउमावि बिचपुरी	
2	2510	518498	OBC	OBC	विनिता मील	महेन्द्र सिंह मील	VILL MEEL NAGAR POST PABANA THE NAWALGARH MEELNAGAR PINCODE 333705 DIST JHUNJHUNU	09.03.92	बाँली	राउप्रावि हरसोता	
3	1546	507877	GEN	GEN	योगेश कुमार	ओमप्रकाश	VILL-SISWALA THE-HISSAR-HISAR PINCODE 125001 DIST.HISAR	03.03.89	बामनवास	राउप्रावि बाड मोहनपुर	
4	1726	503144	OBC	GEN	गुरप्रीत सिंह	जसवीर सिंह	WARD NO 11 VPO SABUANA THE TIBBI ISBN PINCODE 335063 DIST.HANUMANGARH	08.05.95	बाँली	राबाउप्रावि पीपलदा	
5	1965	514364	OBC	OBC	अरफान अली	साले मोहम्मद	VPO PATODA VIA BISSAU TEHSIL MALSISAR PATODA PINCODE 331027 DIST JHUNJHUNU	10.10.94	बाँली	रामावि सेनीपुरा	
6	2096	516283	MBC	MBC	शिवराम गुर्जर	भरत लाल गुर्जर	VILL-DIDWADA POST-PHALSAWATA THE-MALARNA DUNGER CITY DIDWADA PINCODE 322028 DIST SAWAI MADHOPUR	10.06.89	खण्डार	राबाउप्रावि लहसोडा	
7	5215	501186	SC	SC	राजू लाल रैगर	मूलचन्द रैगर	MUKAM KUNTALWAS POST-RAHUWAS THE-RAMGARH PANCHWARA KUNTALWAS PINCODE 303505 DIST.DAUSA	01.07.72	गंगपुर सिटी	राउप्रावि सुंदरपुर	


जिला शिक्षा अधिकारी मुख्या
माध्यमिक सवाई माधोपुर